कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान. शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाध्यापक–मावि एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों के स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से इनके नाम के सामने अंकित विद्यालय (कॉलम संख्या 5–6 में यथोल्लिखित) में एतद्द्वारा किया जाता है:–

क्र. स.	नाम कार्मिक	कहां से		कहां को	
		विद्यालय	जिला	विद्यालय	जिला
1	2	3	4	5	6
1	PATHAK SHASHI MOULI	GOVT. SECONDARY SCHOOL - KALERA KRISHNA GOPAL	AJMER	GOVT. SECONDARY SCHOOL, TALKIYA, JAITARAN (08200108801)(JAITARAN)	PALI

उक्त कार्मिक तत्काल स्थानान्तरित स्थान हेतु शाला दर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त होकर संबंधित विद्यालय में कार्यग्रहण करते हुए शाला दर्पण से संबंधित समस्त प्रकार की प्रविष्टियों का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करावें। आरपीएससी चयनित प्रधानाध्यापक जिनका परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ हो/लंबे समय से अनुपस्थित कार्मिक कार्यमुक्त न होकर इस कार्यालय को तत्काल सूचित करें। वर्तमान स्थान से अन्यत्र स्थानांतरण पर पूर्व में न्यायिक स्थगन प्राप्त हो तो तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे। राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण सेवा संवर्ग के कार्मिक (RVRES) यदि शहरी क्षेत्र के विद्यालय में स्थानांतरित हो गये हैं तो वे कार्यमुक्त व कार्यग्रहण न करें।

(नथमल डिडेल)
I.A.S.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/मा/संस्था/बी–1/45001/प्र0अ0/स्थाना./2019/ दिनांकः– 29 .09.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 विशिष्ठ सहायक, माननीय् शिक्षा राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2 प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग जयपुर।
3 उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)राजस्थान सरकार जयपुर।
4 सम्बधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा ।
5 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
6 सम्बधित ज़िला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय–माध्यमिक।
7 **सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी /नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित कार्मिक के संबंध में कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति का अपने स्तर पर प्रबोधन करते हुए तीन दिवस में आवश्यक रूप से कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करावे।**
8 सम्बधित कार्मिक/संस्था प्रधान को पालनार्थ।
9 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)